

तारीख
हुपम

हुपम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

17/10
23

लगाय पक्ष उपस्थित न होने पर अधिकारी राजकीय
से बाहर हो जायगा पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 13.2.24 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

13.2.24 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी अनुपस्थित, वादी एवं
वादी के अधिवक्ता को कितनी बार रुक-रुक कर
आवाजे फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। वकील
वादी के अनुपस्थित रहने से वादी का वादपत्र अदम
होजरी। अदम पेशी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली फलल सुमार होकर अठ्ठर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल